संचालनालय
कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें, छ.ग.
इन्द्रावती भवन, ब्लॉक नं. सी, द्वितीय तल, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक/न–3–1/कै.ले.प्र./2020/811) नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 06/12/2021

प्रति,

बीमा चिकित्सा पदाधिकारी
कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें
प्रभारी समस्त केन्द्र।

विषय :– बीमित हितग्राहियों को कैशलेस आधार पर सेकेण्डरी चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने बाबत्।

संदर्भ :–
1. श्रम विभाग का पत्र क्रमांक एफ 4–1/2015/16 दिनांक 31.03.2018
2. श्रम विभाग का पत्र कमांक एफ 4–1/2015/16 दिनांक 05.04.2018
3. श्रम विभाग का पत्र क्रमांक एफ 4–1/2015/16 दिनांक 10.06.2020
4. संचालनालय का पत्र कमांक/न–3–1/कै.ले.प्र./2020/504 दिनांक 23.07.2021

----00-----

छ.ग. शासन श्रम विभाग के पत्र क्रमांक एफ 4–1/2015/16 दिनांक 31.03.2018 एवं पत्र कमांक एफ 4–1/2015/16 दिनांक 05.04.2018 तथा पत्र क्रमांक एफ 4–1/2015/16 दिनांक 10.06.2020 के द्वारा बीमित हितग्राहियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को कैशलेस आधार पर सेकेण्डरी केयर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृति दी गई है।

शासकीय सेवकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को राज्यांर्तगत स्थित निजी चिकित्सालयों से उपचार करवाने हेतु मान्य सूची जारी की गई है। जिस अवधि तक इन चिकित्सालयों को मान्य किया गया है, उस अवधि तक श्रम विभाग के उपरोक्त संदर्भित पत्रों के द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार बीमित हितग्राहियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को कैशलेस आधार पर चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध करवाने हेतु संचालनालय के संदर्भित पत्र दिनांक 23.07.2021 तथा दिनांक 01.09.2021 के द्वारा सहमति प्राप्त 49 चिकित्सालयों को कैशलेस सेकेण्डरी केयर चिकित्सा उपचार हेतु सहमति दी गई है। उक्त के अतिरिक्त सांई कृपा हॉस्पिटल सिलतरा जिला रायपुर को सी.जी.एच.एस. दर पर कैशलेस आधार पर सेकेण्डरी केयर चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु अधिकृत किया जाता है।

कैशलेस आधार पर जॉच पश्चात् सी.जी.एच.एस. द्वारा निर्धारित दर पर भुगतान किया जायेगा तथा दावा प्रस्तुत करते समय सी.जी.एच.एस. द्वारा निर्धारित कोड़ संख्याओं का उल्लेख करना आवश्यक होगा।

(संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

बीमा चिकित्सा पदाधिकारी
(प्रथम श्रेणी)
संचालनालय
कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें
नवा रायपुर अटल नगर
6/12/21

.........2